न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सुमन देवी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2014/26

1. अब्दुल वहाब
2. अब्दुल राशिद

पुत्रान् अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी प्लाट नंबर 10 मीरजी बाग, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर राज0।

–वादीगण

बनाम

1. हेमन्त पुत्र श्री जगमोहन मलहोत्रा जाति पंजाबी निवासी खोरेवारियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. मैसर्स जगतपुरा बिल्डहोम प्रा.लि. जरिये चैयरमैन संतीश कट्टा कार्यालय 9, जगतपुरा, सिडलिंग एकेडमी के पास, खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
53 व 188 आर टी ए

निर्णय **दिनांक: 21.09.2021**

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम खोरेवारियान तहसील सांगानेर में भूमि खसरा नंबर 64 रकबा 1.02 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादीगण का हिस्सा 26/102 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 18/102, तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 58/102 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज है। वादीगण ने उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 27.08.2001 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की थी तथा क्रय करते समय ही प्रतिवादी संख्या 1 ने विक्रय की गई सीमाओं का अंकन कर दिया [illegible] मौके पर कब्जा दे दिया था जिस पर वादीगण काबिज है। उक्त भूमि [illegible] भी प्रतिवादी संख्या 1 ने बनाया था जो विक्रयपत्र का [illegible] भूमि खसरा नंबर 64 रकबा 1.02 हैक्टेयर में से उत्तरी ओर की [illegible] जिसकी नाप उत्तर दक्षिण पूर्वी ओर 100 फीट व पश्चिमी ओर 113 फीट व पूर्व से पश्चिम 264

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:13:05 IST
Reason: SelfAttested

(2)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

दक्षिण पूर्वी ओर 100 फीट व पश्चिमी ओर 113 फीट व पूर्व से पश्चिम 264 फीट जिसका कुल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। जिसकी चारों सीमाओं में उत्तर में रास्ता 30 फीट चौडा आमद रफत व बाद खसरा नंबर 64/1 दक्षिण में खसरा नंबर 64 का शेष भाग मिला हुआ है पूर्व में खसरा नंबर 3106 मिला हुआ हुआ तथा पश्चिम में नाला स्थित है। विक्रय की गई भूमि पर वादीगण क्रय करने के दिन से बची हुई भूमि में से 58/102 हिस्सा का विक्रय काफी समय बाद कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 को भी क्रय की गई सम्मति का मौके पर कब्जा दे दिया तथा वह अपनी क्रयशुदा भूमि पर काबिज हो गया। भूमि का मौके पर विभाजन किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को भूमि चिन्हित करके विक्रय की है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभी सभी काश्तकारो के नाम से सह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत में फितुर आ गया तथा वह वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करने लगा दिनांक 07.02.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 के साथ कर्मचारियों ने वादी द्वारा बोई गई फसल को बिना बात ही सम्भालने नहीं दी। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 को कहां कि बंटवारा करवा के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवा लो तो प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा की अगर तुमको अलग खाता करवाना है तो न्यायालय से करवाओ। अतः यही वाद हेतु उत्पन्न होकर वादीगण के लिए वाद बंटवारा करना आवश्यक हुआ। वाद हेतु बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.02.2014 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का बंटवारा कराने से मना करने तथा न्यायालय से बंटवारा कराने की कहने से तथा इसी दिन वादीगण की काश्त में बेजा मजाहमत करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत बंटवारा डिक्री किया जाकर वादीगण को जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने विक्रयपत्र में दर्ज की है तथा उसका नक्शा भी संलग्न है का बंटवारा कर अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावें। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ज[illegible] उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते सुनवाई लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में [illegible]। लोक अदालत में उपस्थित अधिवक्तागण ने [illegible] प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वादीगण का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:13:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 64 रकबा 1.02 हैक्टेयर वाकै ग्राम खो–रेवानियान पटवार हल्का जयपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड बाई मीटस एण्ड बाउण्डस उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तैयार कर प्रथम–प्रथम लगान व खाता कायम कर तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2316 दिनांक 15.04.2021 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की जो निम्नानुसार है –

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में
1.	1. अब्दुल बहाव पुत्र अब्दुलगनी हिस्सा 1/2 2. अब्दुल राशिद पुत्र अब्दुलगनी हिस्सा 1/2 खातेदारान जाति मुसलमान निवासी प्लाट नंबर 10, मीरजी का बाग, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर. खातेदार	64 मिन	0.2600
2.	हेमन्त पुत्र जगमोहन मल्हौत्रा जाति पंजाबी प्लाट नंबर 70 तिलक नगर, राजापार्क जयपुर हिस्सा पूर्ण	64 मिन 64 मिन	0.0750 0.1050
3.	मैसर्स जगतपुर बिल्डहोम प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 9 जगतपुरा सिडलिंग एकेडमी के पास खौरेबारियान, खातेदार	64 मिन	0.5800

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात रिपोर्ट आपत्ति [illegible] वकील वादी ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण को आपत्ति कुर्रेजात हेतु अवसर [illegible] उपरान्त भी आपत्ति पेश नही गई। बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी [illegible] पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट अवलोकन किया गया। अतः प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवम् नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:13:05 IST
Reason: SelfAttested

(2)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

ट्रेस के आधार पर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि. मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:13:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब इजलास श्रीमती सुमन देवी (आर.ए.एस.)

अब्दुल बहाब बनाम हेमन्त वगै.

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए

मुकदमा नम्बर – दावा/2014/26

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती सुमन देवी व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

कुर्रेजात रिपोर्ट एवम् नक्शा ट्रेस के आधार पर वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

(मुहर: सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.09.2021 को जारी की गई।

दस्तखत (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर

ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:13:05 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वि.

Scanned by CamScanner